न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री जगदीश नारायण मथुरिया, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 10 / 2012 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

1. वासदेव पुत्र मोती } जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पीढी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर
2. परसराम पुत्र रतन }

.....अपीलांट।

बनाम

1. जगदीश पुत्र गिरधर, जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पीढी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

..... असल रेस्पोडेण्ट

2. मेघश्याम } पिसरान मोती
3. प्रकाश }
4. हरभेजी
5. महादेवी } पुत्री मोती
6. सुशीला
7. बुद्धो
8. सुरेश } पिसरान रतन
9. शशि }
10. लालाराम } पिसरान मोहर सिंह
11. रामलाल }
12. निरोती पुत्र राधावल्लभ
13. सोहनलाल पुत्र कुन्दन

जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पीढी, तह0 कुम्हेर जिला भरतपुर।

14. रेवती
15. दामोदर } पिसरान तोताराम
16. मनीराम
17. बाबूलाल } पिसरान रामचन्द
18. बिहारी }
19. चरन सिंह } पिसरान घन्शी
20. श्याम सिंह }
21. प्रकाश }
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर।

..... तरतीवी रेस्पोडेण्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्रो न्याया0 सहायक कलक्टर कुम्हेर दि0 09.11.2011 प्र.सं. 208/08 एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.03.2004 उनवान जगदीश बनाम मोती वगै0।

उपस्थितिः—

1. श्री नीरपाल सिंह कुन्तल वकील अपीलांट।
2. श्री हरीदत्त शमा वकील रेस्पाडेण्ट।

निर्णय दिनांक—08.01.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर कुम्हेर के निर्णय व डिक्रो दिनांक 09.11.2011 एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.03.2004 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इन कथनो के साथ प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 379 जिसका हाल खसरा नम्बर 383 है, पर वादी व प्रतिवादीगण मनवट के आधार पर अपने—अपने हिस्सोनुसार काबिज चले आ रहे हैं। विवादित आराजी में वादी/रैस्पो0 का 1/4 हिस्सा एवं शेष 3/4 हिस्से में प्रतिवादीगण वहिस्सा बराबर के काबिज खातेदार काश्तकार हैं। विवादित आराजी का अभी वाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन नहीं हुआ है। जिससे पक्षकारान में अब आपस में मनमुटाव रहने लगा है अतः विवादित आराजी को अब शामलात रूप से उपयोग में लेना अथवा काश्त करना सम्भव नहीं रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकियात कायम कर दिनांक 31.03.2004 को प्राथमिक डिक्री करते हुये, तहसीलदार कुम्हेर से विभाजन प्रस्ताव तलब किये एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 09.11.2011 को अन्तिम डिक्री कर दिया। उक्त दोनों आदेशो से व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के परे एवं कानूनी प्रावधानो के विपरीत पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संता, राधा, दयावली, फूला पुत्रियान रतन व भजनलाल पुत्र रोशन, उमेश पुत्र लालाराम हरदेव, कालीचरन, परमानन्द पिसरान लक्ष्मी एवं दुलारी वेवा लक्ष्मी तथा लक्ष्मी बालमुकन्द, मूलचन्द पिसरान हरीराम एवं विद्या वेवा हरीराम उक्त समस्त वर्णित व्यक्तियों को ना तो वादी/रैस्पो0 द्वारा दावा में पक्षकार मुकदमा बनाया है एवं ना ही बाबजूद एतराज तहत न्यायालय द्वारा ही पक्षकार मुकदमा बनाया गया है और ना ही सुनवाई का ही कोई अवसर दिया गया है जबकि अपीलाण्ट का तहत न्यायालय में प्रस्तुत जवाब दावा में स्पष्ट एतराज रहा है। नियमानुसार विभाजन के वाद में सभी सहखातेदार को पक्षकार मुकदमा बनाया जाकर उन्हें सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन बाडा दर्ज है तथा मौके पर भी सह खातेदारान एवं अन्य व्यक्तियों के पुख्ता मकान दावा दायर होने से बीसियों वर्ष पूर्व से बने हुए हैं उक्त आशय का ऐतराज भी तहत न्यायालय में अपीलाण्ट का रहा है कि विवादित भूमि आबादी है एवं दावा का सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। परन्तु फिर भी तहत न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने जवाबी बहस में तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। दावा में सभी सहखातेदारान को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम कर विस्तृत, तनकीवार, तार्किक प्राथमिक डिक्री करते हुए, तहसीलदार कुम्हेर से प्राप्त विभाजन प्रस्तावो पर अपीलाण्ट की आपत्तियों का निस्तारण करते हुये अन्तिम डिक्री पारित की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट ने प्राथमिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री की एक ही अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर कुम्हेर के आदेश दिनांक 31.03.2004 (प्रारम्भिक डिक्री) एंव दिनांक 09.11.2011 (अंतिम डिक्री) के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की गई हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अनुसार प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत, एक ही अपील पोषणीय

नही मानी जा सकती है। प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री की पृथक–पृथक अपील प्रस्तुत होनी चाहिए थी। अतः हम अपीलाण्ट की अपील पोषणीय नही होने के कारण खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर कुम्हेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2004 एवं 09.11.2011 यथावत रखं जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 08.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश नारायण मथुरिया)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official